

8. आस्तियों और दायित्वों के रूप में ब्यौरे					
विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क. जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	55,000	20,000	0	नहीं	नहीं
ख. स्थावर आस्ति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
I. स्वाजित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत					
II. क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति के विकास/निर्माण लागत (यदि लागू हो)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
III. (क) स्वाजित आस्तियां (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य) की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
9. दायित्व					
(i) सरकारी देय (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10. दायित्व जो विवादग्रस्त हैं					
(i) सरकार के देय (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii) बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं



(Handwritten signature)

- (9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :
 क. स्वयं प्राइवेट डिप्लोमा
 ख. पति/पत्नी रहती
- (10) वृत्तीय उप जीविका के ब्यौरे :-

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे दें, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दें और वह वर्ष का ब्यौरा दें जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था।)

बि. ए. बी. ए. बी. एड.
कानपुर विश्व विद्यालय कानपुर 1984
बी. एड. सम्मेली-नन्द विश्वविद्यालय वाराणसी 1982

भाग-ख

(11) भाग (क) के (1) से (10) में दिए गए ब्यौरे का सार

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/श्री	<u>शिवेनी चसाद लोपा</u>
2.	डाक का पूरा पता	नया बाजार अरबौर	<u>कौशभ्यी Pn 22201</u>
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	953 चाण्डल UP.	
4.	राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्वया निर्दलीय- लिखें)	भारतीय जनता पार्टी	
5.	(i) संबन्धित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालय द्वारा दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए हैं।		<u>नहीं</u>
	(ii) लंबित मामलों की कुल संख्या जहां न्यायालय/च्यायालयों ने सजाय लिया है (ऊपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से निम्न)		<u>नहीं</u>
6.	चन मामलों की संख्या जिनमें दोषसिद्ध और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाय		<u>नहीं</u>
	का स्थायी खाता संख्या (पीएन)		वर्ष जिसमें अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है
	(क) अभ्यर्थी	<u>CXC PP</u>	<u>6847 D</u>
	(ख) पति/पत्नी	<u>नहीं</u>	
	(ग) आश्रित	<u>नहीं</u>	



[Signature]

(6) मैं, लोक वितीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/देयों ब्योरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पणी : कृपया प्रत्येक मद के सामने बैंक, संस्था, अस्तित्व या व्यष्टि के नाम और रकम के अलग-अलग ब्योरे दें)

क्र. सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/ वित्तीय संस्था (संस्थाओं) के ऋण या देय, बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण का प्रकार	मेरे नाम पर नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	ऊपर उल्लिखित से भिन्न किसी अन्य व्यष्टि/ अस्तित्व के ऋण या देय, नाम, बकाया रकम, ऋण का प्रकार	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कोई अन्य दायित्व	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	दायित्वों का कुल योग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	सरकार के देय : सरकारी आवास सुविधा से संबंधित विभाग को देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	जल प्रदाय से सम्बन्धित विभाग को देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विद्युत प्रदाय से सम्बन्धित विभाग को देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	टेलीफोन/ मोबाइलों की पूर्ति से सम्बन्धित विभागों को देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सरकारी परिवहन से सम्बन्धित विभाग को देय (वायुयान और हेलिकाप्टरों सहित)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	आयकर देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सम्पत्तिकर देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सेवाकर देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	नगरपालिका/ संपत्ति कर देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विक्रीकर देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कोई अन्य देय	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सरकारी सगी देयों का कुल योग	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या कोई अन्य दायित्व विवाद ग्रस्त है यदि है तो अंतर्गत रकम और उस प्राधिकारी का उल्लेख करें जिसके समक्ष वह लंबित है।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं



(Signature)

(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) स्थान सर्वेक्षण संख्याक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फीट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फीट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) स्थान सर्वेक्षण संख्याक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फीट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फीट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अन्य (जैसे संपत्ति में हित)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कुल (i) से (v) का कुल वर्तमान बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं




(Handwritten signature)

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे (Details of Immovable Assets)

टिप्पणी:-

- संयुक्त स्वामित्व वाली सम्पत्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उपदर्शित किया जाना
- इस रूप विधान में प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का अलग से उल्लेख होना चाहिए

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि का/के स्थान, सर्वेक्षण संख्यांक	प्रताप गढ़	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	1/4000	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	है	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप में भूमि पर किया गया कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	गैर-कृषि भूमि : स्थान	कृषि	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सर्वेक्षण संख्यांक	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासती संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, निर्माण आदि के रूप भूमि पर किया गया कोई विनिधान	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं



(Handwritten signature)

क्र.सं।	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में रोकड़	5000	2000	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	बैंक खातों में निक्षेप के ब्यौरे (एफडी/आरपी, आवधि निक्षेप और बचत खातों सहित अन्य सभी प्रकार के निक्षेप), वित्तीय संस्थानों, नैप बैंकिंग, वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों में निक्षेप और ऐसे प्रत्येक निक्षेप की रकम।	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iii)	बचपत्रों, डिबेंचर्स/ शेयर्स और कम्पनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में विनिधान के ब्यौरे और रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iv)	एनओएस/एसओ, डाकीय बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाक विभाग व बीमा कम्पनी के किसी वित्तीय लिखित में विनिधान और रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(v)	या फर्म, कंपनी, न्यास आदि किसी व्यक्ति अस्तित्व को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्तियां और रकम	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/नाव/जहाज (निर्माण, रजिस्ट्रेशन संख्या आदि का ब्यौरा खरीफ के वर्ष और रकम)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(vii)	आभूषण, बुलियन और मूल्यवान चीजें (भार और मूल्य के ब्यौरे)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे दावे का मूल्य/ब्याज	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ix)	सकल कुल मूल्य	55000	20000	8000	नहीं	नहीं



(Handwritten signature)

है) मुझे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से निम्न के लिए एक वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया गया है :

यदि अनिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धोप दहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में, मुझे न्यायलय द्वारा सिद्धोप और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है। :

(क)	सम्बन्धित मामलों के अधिनियम (अधिनियमों), धारा (धाराओं) का ब्यारा और अपरोधो वर्णन जिनके लिए सिद्धोप किया गया	नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या, और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	नहीं
(घ)	क्या सिद्धोप आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है। यदि हां, तो अपील का ब्यारा और वर्तमान प्रस्थिति :	नहीं

(7) यह कि मैं, अपनी पत्नी/पति और आश्रितों की आस्तियों (स्थायी और अस्थायी आदि) का ब्यारा यहां नीचे देता हूँ :

क. जंगम सम्पत्तियों का ब्यारा (Details of movable assets):

टिप्पणी:-

1. संयुक्त नाम पर आस्तियों, संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को भी उप दर्शित किया जाना है
2. निक्षेप/विनिधान की दिशा में, क्रम सं०, रकम, निक्षेप/विनिधान की दशा में, क्रम संख्या, रकम, निक्षेप की तारीख, बैंक/संस्थान और शाखा के नाम सहित ब्यारा दिया जाना है।
3. वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार सूचीबद्ध-कंपनियों के वावत स्टाक एक्सचेंज में और अस्वीबद्ध कम्पनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार बंधपत्र/डिबेंचर का मूल्य।
4. आश्रित का यही अर्थ है जो जैसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 75 के स्पष्टीकरण (V) में उसका है।
5. प्रत्येक विनिधान की वावत सहित रकम का ब्यारा देना से दिया जाना है।



(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/ करेगी):

(i) मेरे विरुद्ध ऐसे लंबित मामले जिसमें न्यायालय ने दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए आरोप विरचित किए हैं, निम्नलिखित है :-

(क)	संबंधित पुलिस थाना/ जिला/ राज्य के पूर्ण विवरण के साथ मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याएं	नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख।	नहीं
(घ)	न्यायालय जिसमें आरोप विरचित किये हैं।	नहीं
(ङ)	तारीख जिसपर आरोप विरचित किये गये।	नहीं
(च)	क्या सती या किसी कार्यवाही पर किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है।	नहीं

(ii) निम्नलिखित मामले मेरे विरुद्ध लम्बित हैं, जिसमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है, उपर मद् (1) में लिखित मामलों के अलावा :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख :	नहीं
(ख)	मामलों को ब्यौरा जिनमें न्यायालयों ने संज्ञान लिया है, अधिनियमों की धाराओं और अपराधों का विवरण जिनमें संज्ञान लिया गया :	नहीं
(ग)	उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध फाइल की गई अपील, पुनरीक्षण के लिए आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई है), के ब्यौरे	नहीं

(Handwritten signature)



निर्वाचनों का संस्थालय नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 26
(नियम 4क देखिए)

"इलाहाबाद-झोंसी" खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए निर्वाचन-2017

इलाहाबाद-झोंसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अग्रणी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र



भाग - अ

मैं, श्री प्रसाद मिश्रा पुत्र/पुत्री/पत्नी शम्भुचरण मिश्रा आयु 53 वर्ष, जो राज्य का अग्रणी का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन से अग्रणी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

- मैं एक अग्रणी हूँ जिसे भारतीय जनता पार्टी (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया/निर्दलीय अग्रणी के रूप में चुनाव में लड़ रहा हूँ।
(*जो लागू न हो उसे काट दें)
- मेरा नाम (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) 253 नमल (सामान्य) उदये में क्रम सं. 1785 पर, भाग सं. 13 में प्रविष्ट है।
- मेरा/मेरे 7379383725 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएँ हैं/हैं और 7379383725 ई-मेल पता (यदि कोई हो) है।
- स्थाई लेखा संख्यांक (पीन) और आयकर विवरणी फाइल करने की प्रकृति के ब्यौरे और आय कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति :

क्रम सं.	नाम	पीओएन(स्थायी खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर शिक्की में दर्शाई गई कुल आय (रुपये में)
1. स्वयं	<u>श्री प्रसाद मिश्रा</u>	<u>CXCP 6047 D</u>	<u>नहीं</u>	<u>नहीं</u>
2. पति या पत्नी	<u>शम्भुचरण मिश्रा</u>	<u>नहीं</u>	<u>नहीं</u>	<u>नहीं</u>
3. आश्रित -1	<u>कमुदेवि मिश्रा</u>	<u>नहीं</u>	<u>नहीं</u>	<u>नहीं</u>
4. आश्रित -2	<u>परमेश मिश्रा</u>	<u>नहीं</u>	<u>नहीं</u>	<u>नहीं</u>
5. आश्रित -3	<u>परमार्थ मिश्रा</u>	<u>नहीं</u>	<u>नहीं</u>	<u>नहीं</u>



कार्यालय आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी।

संख्या-३७३ 25/जे0ए0-11 (2016-17)

दिनांक : जनवरी 13, 2017

जिला सूचना अधिकारी,
झांसी।

विषय:- इलाहाबाद-झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन, 2017 हेतु नामांकन पत्र प्राप्त होने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय पर यह कहना है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2017 इलाहाबाद-झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिभाग हेतु श्री त्रिवेणी प्रसाद त्रिपाठी, नया बाजार, भरवारी, कौशाम्बी द्वारा दिनांक 13-01-2017 को 02 सेट में नामांकन पत्र प्रस्तुत किया है। नामांकन पत्र के साथ अभ्यर्थी द्वारा दिये गये शपथ पत्र, जिसमें उनकी सम्पत्ति एवं आपराधिक इतिहास प्ररूप-26 पर प्रस्तुत किया गया है, जिसे एक प्रति में आपको इस आशय से भेजा जा रहा है कि उक्त विवरण को दो स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

(उर्मिला देवी सोनकर खाबरी)
सहायक रिटर्निंग आफीसर,
इलाहाबाद-झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र/
अपर आयुक्त (प्रशासन),
झांसी मण्डल, झांसी।

संख्या-३७३ 25/जे0ए0-11 (2016-17)

तददिनांक।

प्रतिलिपि अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, झांसी/नोडल आफीसर को आज प्राप्त नामांकन पत्र के प्ररूप-26 तथा अतिरिक्त शपथ पत्र की प्रति इस आशय से संलग्न कर भेजी जा रही है कि उक्त शपथ पत्र को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ की वेबसाइट पर स्कैन कराकर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(उर्मिला देवी सोनकर खाबरी)
सहायक रिटर्निंग आफीसर,
इलाहाबाद-झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र/
अपर आयुक्त (प्रशासन),
झांसी मण्डल, झांसी।